न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 20/2008

प्रार्थी :–

1. श्रीमती दरियाबेन पत्नि श्री तुलसीराम जाति रावल निवासी जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति रावल निवासी जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, जनापुर तहसील पिण्डवाडा ।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 15.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या –1 के हक में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 005152 दिनांक 16.11.2005 बुक संख्या 104 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तामिली करवाई गई एवं बावजूद नोटिस तामिली के अप्रार्थी अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या –2 ने अप्रार्थी संख्या –1 के हक मे विधि विरूद्ध पारित बुक संख्या 104 पट्टा संख्या 005152 दिनांक 16.11.2005 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय मिसल संधारित नहीं की गई है और न ही आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश किया गया है। ग्राम पंचायत जनापुर ने प्रार्थीया के कृषि भूमि जो ग्राम जनापुर पटवार हल्का जनापुर में खसरा संख्या 620, 627 है, जिसकी खेवट खतौनी संख्या 254 है एवं क्षेत्रफल 1.11 बीघा है। उक्त कृषि भूमि को बिना आबादी में संपरिवर्तित कराए अप्रार्थी संख्या दो पट्टा संख्या 005152 दिनांक 16.11.2005 जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। विवादित पट्टे में पट्टे व मिसल दायर की जगह प्रस्ताव संख्या लिखा हुआ है। पट्टे की अंकित चतुर्दशी से भी [illegible] भूमि है क्योंकि उक्त भूमि के पडौस में कृषि भूमि अंकित है। अप्रार्थी [illegible]ति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उ[illegible] के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश [illegible]या गया है । पं[illegible] द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत[illegible] नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न [illegible] की गई है। जिससे अ[illegible]संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है, अतः पट्टा निरस्त करने योग्य है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक व दो बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। पूर्व में उनको कई मौके दिए जा चुके है। अतः उनका जबाव देने का अवसर बन्द किया जाता है।

मैने प्रार्थी के लायक अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया । संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थी सं.–1 को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पता लगता है कि ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा जारी विवादित पट्टे में मिसल दायर के स्थान पर प्रस्ताव संख्या लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि पट्टा जारी करते समय मिसल संधारण नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जो यह साबित कर सके कि अप्रार्थी संख्या दो उक्त नियम में पट्टे की पात्रता रखता हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत जनापुर ने विवादित पट्टा प्रार्थीया की कृषि भूमि पर जारी किए गए है। कृषि भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है एवं पट्टे की मिसल संधारण भी नहीं की गई, जो पट्टे जारी करने की प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करती है। विवादित पट्टों में अंकित चतुर्दशी भी भिन्न है। इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए यह न्यायालय अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टे को न्यायसंगत एवं विधि अनुरूप नहीं मानता है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक के हक में सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 005152 दिनांक 16.11.2005 बुक संख्या 104 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा उक्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर पालना से एक माह में अवगत करावें ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner